जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
31/2015

अपील रसद संख्या 31/2015 रोहितकुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल जाति खत्री निवासी 87 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

10.01.2017

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित है उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 09.01.17 शामिल पत्रावली की गई। इस मामले में विभागीय प्रतिनिधि की बहस दिनांक 26.12.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 22 राज0 खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण पत्र विनिमय) आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी आदेश दिनांक 06.02.2013 जिसके द्वारा अपीलार्थी का भ्रमणशील उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र सं0 699/2007 निरस्त किया गया है के विरूद्ध दिनांक 04.03.15 को पेश की है और उक्त अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश 06.02.2013 निरस्त कर प्राधिकार पत्र सं0 699/2007 को बहाल करने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी के अभिभाषक का लिखित बहस अनुसार कथन है कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं0 699/2007 जो कि भ्रमणशील उचित मूल्य की दुकान खाता न0 20 चक 3 एमएल ग्राम पंचायत 2 एमएल के नाम से दिनांक 30.12.2007 को जारी किया गया है तब से अपीलार्थी भ्रमणशील उचित मूल्य की दुकान का सही रूप से संचालन करता आ रहा है। उनके द्वारा अपने लिखित कथनो में यह भी अंकित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्देशो में उचित मूल्यों की दुकानो का कम्प्यूटराईजेशन करने के आदेश दिये गये है न कि प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश दिये गये है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को कभी भी कम्प्यूटर लगाने का आदेश नही दिया गया और न ही अपीलार्थी ने कम्प्यूटर लगाने से मना किया है। अपीलार्थी को बिना सुने ही दिनांक 06.02.13 के आदेश से उसका प्राधिकार पत्र गैरकानूनी रूप से निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि रेस्पो0 के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट संख्या 9575/2014 प्रस्तुत की गयी है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश अपील योग्य होने के कारण दिनांक 18.02.15 को अपीलार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार करते हुए पेटीशन वापिस करने के आदेश दिये। जिस पर अपीलार्थी ने यह अपील बिना देरी किये पेश की है जो अन्दर मियाद मानी जावे और जिला रसद अधिकारी का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि खाद्य नागरिक आपूति और उपभोक्ता मामले विभाग राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 17(9)खा.वि./विधि/2012 दिनांक 01.02.2013 में दिये गये निर्देशा के अनुसरण में आदेश दिनांक 06.02.2013 से 41 भ्रमणशील उचि मूल्य दुकानदोरो के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये है जिसके क्रम संख्या 37 पर अपीलार्थी की भ्रमणशील उचित मूल्य की दुकान का जारी प्राधिकार पत्र सं0 699/22007 निरस्त किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
31/2015

की जावे। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को यदि उक्त आदेश से कोई आपति है तो उसे राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध ही कार्यवाही करनी चाहिए।

उनका आगे कथन था कि जिला रसद अधिकारी द्वारा बतौर लाईसेन्सिग अथोरटी, अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र किसी कानून की अवहेलना के कारण या प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना के कारण निरस्त नही किया गया है बल्कि राज्य सरकार के आदेशो की पालना में निरस्त किया गया है। इसलिए श्रीमान न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल खत्री निवासी 87 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर के नाम राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) प्राधिकृत विक्रेता/प्राधिकृत कीमत दुकानदार के रूप में खाद्यान्नो एवं अन्य आवश्यक पदार्थो के क्रय विक्रय के लिए भ्रमणशील उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र सं0 699/27.12.07 जारी किया गया है जो अहाता न0 20 चक 3 एमएल ग्राम पंचायत 2 एमएल तहसील श्रीगंगानगर के लिए जारी किया गया है। उक्त प्राधिकार पत्र को खाद्य नागरिक आपूति और उपभोक्ता मामले विभाग राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.17(9)खा.वि./विधि/2012 दिनांक 01.02.2013 के अनुसरण में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश क्रमांक रसद/एफपीएस/भ्रमणशील/2013/933 दिनांक 06.02.13 के द्वारा पारित आदेश की क्रम संख्या 37 पर अंकित अपीलार्थी रोहितकुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल खत्री का प्राधिकार पत्र सं0 699/2007 निरस्त किया गया है जो निम्न प्रकार से पारित किया गया है:–

क्रमांकः–रसद/एफपीएस/भ्रमणशील/2013/933 दिनांक 06–02–13

–::आदेश::–

उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन आफ इण्डिया में माननीय न्यायाधिपति वधवा कमेटी की सिफारिशो के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य की दुकानो के कम्प्यूटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश भारत सरकार के निर्देशो के अनुसरण में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 17(9)खा.वि./विधि/2012 दिनांक 01.02.2013 की पालना में जिले में भ्रमणशील उचित मूल्य दुकानों (चल उचित मूल्य दुकानें) के लिए जारी निम्नांकित प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

क्र.सं.	प्रा. पत्र सं0	भ्रमणशील प्राधिकार पत्र धारी का नाम	तहसीलक्षेत्र
37	699/2007	रोहितकुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल खत्री, 87 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

ह0 जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
31/2015

उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का भ्रमणशील उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सं0 699/2007 वधवा कमेटी की सिफारिशो के आधार पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एफ 17(9)खा.वि./ विधि/2012 दिनांक 01.02.2013 के तहत जारी निर्देशो की पालना में निरस्त किये गये है न कि जिला रसद अधिकारी द्वारा बतौर लाईसेन्सिग अथोरिटी के, अपीलार्थी द्वारा किसी कानून की अवज्ञा के कारण निरस्त किया गया है। चूंकि राज्य सरकार के आदेशो के अनुसरण में अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है इसलिए अपीलार्थी की अपील सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है। अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेशो के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को भेजी जावे। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.01.2017 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर